



**डीआईजी बस्ती द्वारा रेंज के जनपदों के एसपी के साथ की गयी मासिक समीक्षा
गोष्ठी, संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश ।**

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में परिक्षेत्र के जनपदों के एसपी के साथ मासिक समीक्षा गोष्ठी की गयी । डीआईजी0 बस्ती द्वारा गोष्ठी में निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :

- (1) हत्या, दहेज हत्या, फिरोती हेतु अपहरण एवं गम्भीर चोट के अपराधों की समीक्षा करते हुए अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का निस्तारण एवं नियमानुसार संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करायी जाये एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए सजा करायी जाये ।
- (2) लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराकर अभियोग पंजीकरण कराते हुए इनसे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सम्पत्ति की बरामदगी की जाये एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके ।
- (3) महिला संबंधी अपराध बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों में तत्काल अभियोग पंजीकरण कराते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
- (4) पेंडिंग विवेचनाओं के निस्तारण /वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।
- (5) SC/ST अधिनियम के प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर कराते हुए विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये ।
- (6) जघन्य अपराधों में रासुका के तहत कार्यवाही करायी जाये तथा प्रभावी पैरवी कराकर गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करायी जाये।
- (7) जनपद स्तर पर टीम गठित कर शेष पुरस्कार घोषित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करायी जाये ।
- (8) गिरोहबंद अधिनियम के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराते हुए अपराध से सम्बन्धित अर्जित सम्पत्ति का चिन्हांकन कराकर नियमानुसार सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये



- (09) गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाये ताकि अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके।
- (10) NDPS एक्ट से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया जाए ताकि सिंडिकेट पर अंकुश लगाया जा सके।
- (11) अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्री की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- (12) आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कैमरों के लाभ के बारे में जनता में प्रचार कर अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कराये जाये एवं डाटा पोर्टल पर अपलोड कराये जाये।
- (13) आपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा करायी जाये।
- (14) ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित अभियोगों में समय से विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराये।
- (15) जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक डिजिटल वारियर्स बनाया जाये।
- (16) सभी मुकदमों में विवेचकगण से ई साक्ष्य एप पर साक्ष्य (फोटो/वीडियो आदि) अपलोड कराया जाये।
- (17) NCCRP, IGRS, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाये।
- (18) मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में शतप्रतिशत फीडिंग करायी जाये।
- (19) एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से अभियोगों का अनावरण, अपहृताओं की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी जाये।
- (20) जघन्य अपराधों तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये।
- (21) थानों पर खड़े वाहनों का निस्तारण ऑपरेशन क्लीन के तहत यथाशीघ्र कराया जाये।
- (22) सर्किल स्तर पर स्थापित होने वाले पिंक बूथ/ परिवार परामर्श केंद्र के लिए सभी आवश्यक संसाधनों तथा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाये। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

उक्त गोष्ठी में एसपी संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता, एसपी सिद्धार्थनगर श्री अभिषेक महाजन एसपी बस्ती श्री अभिनन्दन, व तीनों जनपद के रीडर, परिक्षेत्रीय कार्यालय के समस्त शाखाओं के शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती